संख्या:-30/2024/आई512643/001-127आ0-23-5002-002-07-2024
(कम्प्यूटर संख्या-1789132)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 05 मार्च, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत जनपद अयोध्या, जौनपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, सीतापुर, बहराईच, लखनऊ, वाराणसी, बलिया, जालौन व सोनभद्र के विशेष मरम्मत सम्बन्धी 16 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत जनपद अयोध्या, जौनपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, सीतापुर, बहराईच, लखनऊ, वाराणसी, बलिया, जालौन व सोनभद्र के विशेष मरम्मत सम्बन्धी 16 कार्यों हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत रू0 269.40 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष धनराशि **रू0 133.58 लाख (रू0 एक करोड़ तैंतीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम		आगणन लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4		5	6
						(धनराशि लाख रू0 में)
1	1281बीजीबी/112बीजीबी/नि0ख0-4अयोध्या(7948)/अना0/2023-24, दिनांक 23.01.2024	अयोध्या	अयोध्या में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या-अम्बेडकरनगर वृत्त, लो0नि0वि0 के बाहरी सतह की रंगाई-पुताई का कार्य।		07.87	04.00
2	1222बीजीबी/112बीजीबी/वि0/यॉ0जौनपुर-18083/अना0/2023-24, दिनांक 08.01.2024	जौनपुर	जौनपुर में निरीक्षण भवन लो0नि0वि0, मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।		08.53	04.00
3	तदैव	तदैव	जौनपुर में निरीक्षण भवन लो0नि0वि0, मडियाहूँ, जौनपुर के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।		07.33	03.50
4	969बीजीबी/112बीजीबी/प्रा0ख0 सहारनपुर/2522/अना0/2023-24, दिनांक 04.01.2024	सहारनपुर	सहारनपुर में लो0नि0वि0 कालोनी स्थित खण्डीय कार्यालय एवं अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में अभिलेखों के रिकार्ड रूमों की मरम्मत का कार्य।		16.56	08.00
5	1212बीजीबी/112बीजीबी/वि0/यॉ0वाराणसी/2277/अना0/2023-24, दिनांक 23.01.2024	सोनभद्र	सोनभद्र के सर्किट हाउस में सी0सी0 टी0वी0 एवं आडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना का कार्य।		34.63	17.00
6	1042बीजीबी/112बीजीबी/वि0/यॉ0वाराणसी/2278/अना0/2023-24, दिनांक 08.01.2024	सोनभद्र	सोनभद्र के सर्किट हाउस में इनवर्टर बैटरी बदलने का कार्य।		04.32	02.00
7	983बीजीबी/112बीजीबी/म0क्षे03773/सीतापुर/अना0/2023-24, दिनांक 31.01.2024	सीतापुर	सीतापुर विकास खण्ड मिश्रिख के अन्तर्गत नैमिषारण्य धाम में स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	सिविल कार्य	24.13	12.00
				विद्युत कार्य	12.13	06.00
8	1223बीजीबी/112बीजीबी/गोण्डा-5542/अना0/2023-24, दिनांक 08.01.2024	बहराइच	बहराइच में अनावासीय भवन कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, बहराइच-श्रावस्ती वृत्त एवं निर्माण खण्ड-3(इं0ने0बा0), लो0नि0वि0, बहराइच के भवनों की विशेष मरम्मत का कार्य। **कुल लागत रू0 36.93 लाख।**	सिविल कार्य	30.67	15.00
				विद्युत कार्य	06.26	03.00
9	821बीजीबी/112बीजीबी/नि0ख0-4अयोध्या/7923/अना0/2023-	अयोध्या	अयोध्या में सर्किट हाउस भवन की रंगाई-पुताई का कार्य।		15.64	08.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	24, दिनांक 02.02.2024				
10	823बीजीबी/112बीजीबी/नि0ख0-4अयोध्या/7924/अना0/2023-24, दिनांक 02.02.2024	अयोध्या	अयोध्या में सर्किट हाउस भवन के आन्तरिक साज-सज्जा का कार्य।	13.22	07.00
11	1268बीजीबी/112बीजीबी/वि0/यॉ0109/कार्या0 प्रमुख अभि0/अना0/2023-24, दिनांक 02.02.2024	लखनऊ	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लो0नि0वि0, परिसर स्थित कक्ष संख्या द-314 में पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	03.91	02.00
12	1272बीजीबी/112बीजीबी/वि0/यॉ094/कार्या0 प्रमुख अभि0/अना0/2023-24, दिनांक 02.02.2024	लखनऊ	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लो0नि0वि0, परिसर स्थित कक्ष सं0-111 एवं म0-112 के नवनिर्मित बाथरूम का विद्युतीकरण का कार्य।	00.16	00.08
13	1373बीजीबी/112बीजीबी/वि0/यॉ0/वाराणसी(2272)/अना0/2023-24, दिनांक 06.02.2024	वाराणसी	वाराणसी स्थित अधिकारी हास्टल के 24 अदद एक कक्षीय एवं 12 अदद् दो कक्षीय आवासों, केयर टेकर रूम एवं डायनिंग हाल के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	31.55	16.00
14	1396बीजीबी/112बीजीबी/वि0/यॉ0/आजमगढ़(2898)/अना0/2023-24, दिनांक 16.02.2024	बलिया	बलिया के कोरन्टाडीह स्थित निरीक्षण भवन के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	10.69	05.00
15	1255बीजीबी/112बीजीबी/झांसी 11464/सी0डी0-2/अना0/2023-24, दिनांक 16.02.2024	जालौन	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2(प्र0प0), लो0नि0वि0, उरई का पुनर्निर्माण का कार्य।	17.94	09.00
16	1291बीजीबी/112बीजीबी/वि0/यॉ0216/सोनभद्र/अना0/2023-24, दिनांक 16.02.2024	सोनभद्र	सोनभद्र स्थित सर्किट हाउस के विद्युतीकरण सम्बन्धी विशेष मरम्मत का कार्य।	23.86	12.00
			कुल योग :-	**269.40**	**133.58**

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1,33,58,000(रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखा शीर्षक 2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत-मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-30/2024/आई512643/001-127आ0(1)-23-5-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी अयोध्या, जौनपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, सीतापुर, बहराईच, लखनऊ, वाराणसी, बलिया, जालौन व सोनभद्र।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या, जौनपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, सीतापुर, बहराईच, लखनऊ, वाराणसी, बलिया, जालौन व सोनभद्र।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, सहारनपुर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र(लखनऊ), देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र, झांसी क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या-अम्बेडकर नगर वृत्त, 44वां(वि0/यॉ0) वृत्त, सहारनपुर वृत्त, सीतापुर-खीरी वृत्त, 17वां(वि0/यॉ0) वृत्त, बहराईच-श्रावस्ती वृत्त, 30वां(वि0/यॉ0) वृत्त, झांसी वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4, लो0नि0वि0, अयोध्या।
14- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, आजमगढ़।
15- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सहारनपुर।
16- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी।
17- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सीतापुर।
18- अधिशासी अभियन्ता, यॉ त्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।
19- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बहराईच।
20- अधिशासी अभियन्ता, अ0वि0नि0इ0अनु0(वि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
21- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, झांसी।
22- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in